UPMP010009502026

न्यायालय जिला एवम सत्र न्यायाधीश,मैनपुरी

पीठासीन अधिकारी- (Rupesh Ranjan), (उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP02022

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं. 381/2026

अम्बरीश(उर्फ अमरीश यादव प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित)उम्र करीब 44 वर्ष पुत्र स्व. श्री ऊदल सिंह,केन्द्र व्यवस्थापक प्रधानाचार्य श्री महाराज सिंह स्मारक इण्टर कॉलेज जोत,थाना बेवर,जिला मैनपुरी निवासी ग्राम कल्याणपुर थाना बेवर,जिला मैनपुरी।

---प्रार्थी /अभियुक्त ।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

---विपक्षी/वादी

आदेश

1- प्रार्थी /अभियुक्त अम्बरीश(उर्फ अमरीश यादव प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित) की ओर से यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. मुकदमा अपराध संख्या- 94/ 2026 अन्तर्गत धारा- 112(2), 318(4)BNS एवम 4(1)/13(5)8/9/10/ 13(3)/14/ 13 (4) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम अध्यादेश 2024 थाना-बेवर जिला मैनपुरी में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2- प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र है। प्रार्थी का कोई जमानत प्रार्थना-पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में न ही प्रस्तुत किया है और न ही निरस्त किया गया है और न ही लम्बित है।

3- संक्षेप में लिखित तहरीर के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि '' आज दिनांक 23.02.2026 को में आईसी प्रभारी उ0नि0 सुखवीर सिंह मय हमराह उ0नि0 श्रीकृष्ण यादव, हे0 का0 400 अजय कुमार व का० अभय चौधरी महिला का० संगीता थाना हाजा से रवाना होकर कस्बा नवीगंज के नगला सुदामा के पास मौजूद था कि जरिए दूरभाष नम्बर 8218879561 उ0 नि0 योगेन्द्र सिंह एसटीएफ फील्ड ईकाई आगरा द्वारा सीयूजी नम्बर 9454403915 पर सूचना दी कि श्री महाराज सिंह स्मारक इण्टर कालेज थाना बेवर जिला मैनपुरी में परीक्षा केन्द्र से परीक्षा पुस्तिका व प्रश्नपत्र परीक्षा केन्द्र से बाहर ले जाकर हल कराये जा रहे है। इस आशय की सूचना मुखविर से प्राप्त हुई है। सूचना पर विश्वास कर मुझ आई०सी० प्रभारी उ0नि0 द्वारा उप जिलाअधिकारी महोदया श्रीमती संध्या शर्मा व क्षेत्राधिकारी भोगांव को सूचना से अवगत कराया तो एस०डी०एम० द्वारा डीआईओएस जिला मैनपुरी को जरिए दूरभाष उक्त सूचना से अवगत कराने की बात कही गयी कि। मैं आईसी प्रभारी उ0नि0 मय हमराह फोर्स व सरकारी गाड़ी से मौके से रवाना होकर उ0नि0 योगेन्द्र सिंह एसटीएफ फील्ड ईकाई आगरा के हमराह

हे०का० प्रशान्त कुमार, हे0 का0 अकिंत गुप्ता, हे0 का0 कृष्णवीर सिंह, का० हरपाल सिंह, व मुख्य आरक्षी चालक अरविन्द मय सरकारी वाहन UP32E 0384 के पास थाना क्षेत्र के अन्तर्गत सड़क किनारे राजब्रिक फील्ड ईट भट्टा पर पहुंचे जहां मुखविर खास के साथ एसटीएफ टीम मौजूद है। हम पुलिस वालो द्वारा एक दूसरे से जानकारी साझा कर मुखबिर की सूचना से अवगत हुए तथा मुखविर खास को साथ लेकर दोनो पुलिस टीमें मुखविर के बताये स्थान की और चल दिये। जैसे ही हम लोग श्री महाराज सिंह स्मारक इण्टर कालेज जोत थाना बेवर जिला मैनपुरी के पीछे करीब 300 मीटर सड़क आम रास्ते पर पहुंचे कि मुखविर ने सरकारी 381/2026 वाहन रुकवाकर सड़क किनारे खड़ा कराकर पैदल पैदल सड़क किनारे छुपते छुपाते जंगल में आगे बढ़े कि मुखविर ने बबूल के पेड़ों की आड़ से अपने को छुपाते हुए हाथ से इशारा कर कुछ लोगो द्वारा झुण्ड बनाकर जमीन पर बैठे व बात चीत करते लोगो की ओर इशारा करके बताया कि ये वही लोग है और मुखविर वापस चला गया । हम पुलिस वालो द्वारा अपने को छुपाते हुए थोड़ा और करीब जाकर बैठे हुए लोगो की बातें सुनी तो ये लोग आपस में बाते करते हुए एक दूसरे से सही प्रश्न का उत्तर लिखने व प्रश्न संख्या पूछते हुए कुछ लोग गणित प्रश्न व कुछ लोग जीव विज्ञान के प्रश्न का उत्तर पूछने व लिखने का जिक्र कर रहे थे बातें सुनकर हम पुलिसवालो को यकीन हुआ कि ये लोग परीक्षा केन्द्र से बाहर आकर अनुचित तरीके से प्रश्न उत्तर हल कर रहे हैं कि एक बारगी दबिस देकर चार लोगों को मौके पर पकड़ लिया जबकि दस बारह लड़के / व्यक्ति मौके से भागने लगे जिनका पीछा एसटीएफ टीम के हेड का० अंकित गुप्ता व का0 236 अभय कुमार थाना बेबर के द्वारा पीछा किया गया तो कुछ ही दूरी पर दो व्यक्तियों को पकड़ लिया गया जबकि अन्य आठ दस लोग/व्यक्ति भागने में सफल रहे, इसी दौरान मौके पर श्रीमती संध्या शर्मा उप जिला अधिकारी भोगांव जिला मैनपुरी मय हमराह व श्री सतीश कुमार डी०आई०ओ०एस० जिला मैनपुरी मय हमराह अपनी अपनी सरकारी गाड़ी से पूर्व में प्राप्त सूचना के आधार पर मौके पर आये मौके पर उपस्थित हुए उच्चाधिकारियों को हम पुलिस वालों द्वारा प्रकरण से विधिवत अवगत कराया गया तो श्री सतीश कुमार डी०आई०ओ०एस० मैनपुरी के निर्देशन में पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुए मौके पर जामा तलाशी ली गयी तो पहले ने अपना नाम शिवा चौहान उर्फ शिव प्रताप सिंह पुत्र धर्मेन्द्र सिंह नि० जासमई थाना बेबर जिला मैनपुरी उम्र करीब 20 वर्ष बताया जामा तलाशी से एक प्रश्न पत्र जीव विज्ञान इण्टर मीडिएट वर्ष 2026 मुदित पृष्ठों की संख्या सात पूर्णांक 70 व 153, 010285, 348 (EH), तथा रेडमी ब्लू कलर जिसका मो0 नं0 7017612419 व आईएमईआई 862968050203152 व 862968050203160 बरामद हुआ दूसरे ने अपना नाम अवनीत उर्फ अभिजीत सिंह पुत्र जयदेव सिंह उर्फ जयवीर सिंह यादव नि० ग्राम कल्याणपुर थाना बेबर जिला मैनपुरी उम्र करीब 25 वर्ष बताया जामा तलाशी से एक अदद उत्तर पुस्तिका इण्टरमीडिएट गणित वर्ष 2026 जिस पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक संख्या 2265117843 व आईबी 26 परीक्षा कोड संख्या 00312 कुल पृष्ठ 32 अंकित है तथा सैमसंग लाईट पिंक कलर मो0 नं0 6396979844 व आईएमईआई 356494479644564 व 356957259644566 बरामद हुआ तीसरे ने अपना नाम अरूण कुमार उर्फ टिंकू पुत्र स्व० राम प्रताप सिंह नि० ग्राम भारापुर थाना बेबर जिला मैनपुरी उम्र करीब 29 वर्ष बताया जामा तलाशी से एक अदद उत्तर पुस्तिका इण्टरमीडिएट गणित वर्ष 2026 जिस पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक संख्या 2265117452 व आईबी–26 परीक्षा कोड संख्या 00312 कुल पृष्ठ 32 अंकित है तथा रैडमी काला कलर मो0 नं0 7037547762 व आईएमईआई 865226060603425 व 865226060603433 बरामद हुआ

चौथे ने अपना नाम अंकित उर्फ प्रशान्त यादव पुत्र श्री गजेन्द्र सिंह उर्फ नरेश नि० ग्राम कल्याणपुर थाना बेबर जिला मैनपुरी उम्म्र करीब 32 वर्ष बताया जामा तलाशी से मास्टर माईण्ड कैश्चन बैंक 2026 का पृष्ठ संख्या 95-96 कुल एक अदद पन्ना मूल से फटा हुआ तथा मो0 नं0 9012202676 व IMEI NO 864328071426225 व 864328071426233 रेड मी सफेद रंग बरामद हुआ पाँचवे व्यक्ति ने अपना नाम **अनुप कुमार पुत्र हाकिम सिंह** निवासी मनिकापुर थाना बेवर जिला मैनपुरी उम्र करीब 27 वर्ष बताया जामा तलाशी से OPPO ब्लैक कलर मोबाइल नं0 9058060715 जिसका IMEI NO 860320073295736 व 860320073295728 बरामद हुआ छठे व्यक्ति ने अपना नाम **आशीष पुत्र स्व० उदल सिंह** निवासी कल्यानपुर थाना बेवर जिला मैनपुरी उम्र करीब 32 वर्ष (प्रबन्धक का पुत्र) बताया जामा तलाशी से गैलेक्सी स्काइ ब्लू कलर जिसका IEMI NO 350292732537112 व 352693352537118 बरामद हुआ पकड़े गये व्यक्तियो से डीआईओएस,उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा गहराई से पूछताछ करने पर बताये कि हम लोग परीक्षार्थियों को मय उत्तरपुस्तिका व प्रश्नपत्र सहित परीक्षा केन्द्र से बाहर लाकर उत्तर पुस्तिका हल कराकर परीक्षा का समय समाप्त होने से पहले उत्तर पुस्तिका पुनः अन्य परिक्षार्थियो की उत्तर पुस्तिकायों में मिलकर रख दी जाती है इस तरह हम सब लोग स्कूल प्रशासन से मिलकर अनुचित तरीके से प्रश्न पत्र हल कराकर लड़कों को पास कराते हैं। पूंछतांछ कर उच्चाधिकारियो द्वारा हम पुलिस वालों को पकड़े गये व्यक्तियों को सुपुर्दगी कर उक्त प्रकरण की गहराई से जाँच हेतु महाराज सिंह स्मार्क इन्टर कॉलेज जोत जाकर स्कूल कॉलेज के प्रबन्धक व प्रधानाचार्य व कक्ष 01 व कक्ष 02 के कक्ष निरीक्षकों को बुलाया तो मौके से फरार हो गये। कार्यालय में जानकारी करने पर कुछ दस्तावेज लेकर पुनः हम पुलिस वालों व पकड़े गये व्यक्तियों के पास आए व बरामद दस्तावेज अनुपस्थित तथा स्थानान्तरित परिक्षार्थियो का विवरण हाई स्कूल/इन्टरमीडिएट परीक्षा 201 आई बी 88 व 02. कक्ष संख्या 01 दिनांक 23/02/2026 विषय गणित सायंकाल का सीटिंग प्लान उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद हाई स्कूल / इन्टरमीडिएट 2026 व 03 कक्ष संख्या 02 दिनांक 23/02/2026 विषय गणित साय काल का सीटिंग प्लान उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद हाई स्कूल / इन्टरमीडिएट 2026 व 04. की प्लान इन्टर मीडिएट विषय जीव विज्ञान दिनांक 23/02/2026 केन्द्र संख्या 00312 की एक अदद छाया प्रति व की प्लान बोर्ड परीक्षा 2026 विषय गणित दिनांक 23 फरवरी 2026 केन्द्र संख्या 00312 की एक अदद छाया प्रति कार्यालय से प्राप्त हुई केन्द्र व्यवस्थापक/प्रधानाचार्य अमरीश यादव व कर्मचारी मौके से भाग गये। इनके द्वारा जानबूझकर अनुचित लाभ लेकर उपरोक्त परीक्षा को सुचिता को प्रभावित करने के लिये कॉपियों/प्रश्नपत्रों को बाहर भेजकर हल कराया जा रहा था । पकड़े गये व्यक्तियों से ऐसा कार्य करने का कारण पूछा गया तो प्रलोभन की बात करने लगे जब हम लोगो द्वारा प्रलोभन लेने से मना किया तो पकड़े गये व्यक्तियो ने देख लेने की धमकी दी पकड़े गये व्यक्तियो व स्कूल कार्यालय से प्राप्त प्रपत्रो के आधार पर जुर्म धारा 112(1)/318(4) बीएनएस व धारा 3/4 (1)/8/9/10/13(3)/13(4)/14 उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 का अपराध कारित होना पाया गया। पकड़े गये व्यक्तियों को मुझ आईसी प्रभारी/उ0 नि0 सुखवीर सिंह थाना बेवर जिला मैनपुरी द्वारा पकड़े गये व्यक्तियों को उनके किये जुर्म से अवगत कराते हुए समय 16.35 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लिया गया। मौके पर उ0 नि0 योगेन्द्र सिंह के द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी की वीडियोग्राफी बनायी गयी। गवाही गवाहान हेतु प्रयास किया गया

किन्तु जनता को कोई भी व्यक्ति भलाई बुराई के कारण गवाही हेतु तैयार नही हुआ। गिरफ्तारी प्रपत्र व व्यक्तिगत तलाशी प्रपत्र व गिरफ्तारी नोटिस मुझ आईसी प्रभारी/उ0नि0 सुखवीर सिंह थाना बेवर द्वारा मौके पर तैयार किये गये तथा उच्चाधिकारियो व हमराहीयान के हस्ताक्षर बनवाये गये व बरामदशुदा उत्तर पुस्तिका व अन्य प्रपत्रो को चिटबन्दी कर एक पारदर्शी डिब्बे मे व बरामद मोबाइलो को अलग अलग चिटबन्दी कर एक पारदर्शी डिब्बे मे रखकर सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया । फर्द मौके पर मुझ आईसी प्रभारी/उ0नि0 सुखवीर सिंह द्वारा बोल बोल कर का0 236 अभय कुमार थाना बेवर द्वारा लेपटप पर कृत्रिम रोशनी में टाइप कराकर पैन ड्राइव मे लेकर फर्द की दो प्रति लेने हेतु भेजा गया।''

4– प्रार्थी /अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही उसे किसी आपराधिक मुकदमे में जेल भेजा गया है। वह किसी अन्य आपराधिक मुकदमे में वांछित नहीं है। मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थी को राजनीतिक प्रतिद्वंद्वतावश तथा विद्यालय को बदराम करने तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं का परीक्षा केन्द्र बदलने की नियत से आपराधिक षडयन्त्र के तहत झूंठा फंसाया गया है। वह पूर्णतः निर्दोष है। थाना बेवर जिला मैनपुरी की पुलिस मुकदमा उपरोक्त में बिना किसी उचित आधार एवम साक्ष्य के गिरफ्तार करना चाहती है। प्रार्थी एक उच्च शिक्षित बुद्धजीवी सभ्य एवम सचरित्र व्यक्ति है। प्रार्थी महाराज सिंह स्मारक इण्टर कॉलेज जोत थाना बेवर,मैनपुरी में वर्ष 2012 से प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत है। प्रार्थी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा 112(1), 318(4)BNS एवम 4(1),3(1)8/9/10/13(3)/ 14/ 13 (4) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम अध्यादेश 2024 का कोई अपराध नहीं बनता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी के विरूद्ध कोई (Specific Over Act)नहीं दर्शाया गया है। मुकदमा उपरोक्त की घटना में प्रार्थी की उपस्थिति तथाकथित घटनास्थल पर नहीं दर्शायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी द्वारा कापियों/प्रश्नपत्रों को परीक्षा केन्द्र से बाहर भेजकर हल कराये जाने का कोई साक्ष्य नहीं है। तथाकथित घटना महाराज सिंह स्मारक इण्टर कॉलेज जोत थाना बेवर,मैनपुरी से घटना 300 मीटर पीछे की है तथा घटना वाले दिन दिनांक 23–02–2026 को द्वितीय पाली की परीक्षा अपरान्ह 2 पी.ए से 5:15 पी.एम तक सुचारू रूप से तथा शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुई थी तथा इस दौरान परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार की अनियमितता तथा नकल होना नहीं पाया गया था तथा परीक्षा के उपरान्त परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकायें विधिवत रूप् से राजकीय इण्टर कॉलेज में भेजी गयी थी। तथाकथित घटना का कोई जनता का व्यक्ति अध्यापक या छात्र को साक्षी होना प्रदर्शित नहीं किया गया है जबकि तथाकथित दिन परीक्षा केन्द्र पर 405 विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा दी गयी तथा घटना के समय करीब 20–25 उपनिरीक्षक,पुलिस कर्मी तथा विद्यालय का अन्य स्टाफ मौजूद था। महाराज सिंह स्मारक इण्टर कॉलेज मैनपुरी वर्ष 1986 से चल रहा है जिसे संस्थापक प्रार्थी के पिता स्व. श्री उदलसिंह यादव पुत्र स्व. श्री महाराज सिंह थे। उक्त विद्यालय को सन 2004 में हाईस्कूल तथा 2010 में इण्टर मीडिएट की मान्यता शासन से मिली थी। उक्त विद्यालय में 2006 से हाईस्कूल तथा इण्टर मीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं सम्पन्न कराने की अनुमति मिली थी। विगत 20 वर्षों से विद्यालय में करायी जा रही बोर्ड परीक्षाओं की कोई शिकायत या अनियमितता नहीं मिली तथा उच्चाधिकारियों द्वारा कई बोर्ड परीक्षायें सुचारू रूप से सम्पन्न कराये जाने के लिए कॉम्लीमेन्ट्स दिये गये। प्रार्थी की माँ श्रीमती ज्योत्सना यादव विगत 3 बार विद्यालय की क्षति धूमिल करने के उददेश्य से राजनीतिक रंजिशवश झूंठा नामजद किया गया है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आरोपित

अपराध अवर न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। पुलिस द्वारा प्रार्थी को धारा 41 के द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया। प्रार्थी के विरूद्ध आरोपित अपराध गैर कानूनी विधि विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 एन.डी.पी.एस एक्ट 1965 शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 तथा उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत नहीं आता है। प्रार्थी /अभियुक्त धारा 482 बी.एन.एस.एस में उल्लिखित प्रॉवधानों का पूर्णतया पालन करेगा तथा जमानत शर्तों का भी पूर्णतया पालन करेगा। प्रार्थी /अभियुक्त अपनी जमानत देने को तैयार है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी /अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने याचना की गयी है।

5- विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया एवं तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

6- विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

7- प्राथमिकी में यह कथन किया गया है कि वर्ष 2026 के इण्टरमीडिएट परीक्षा में आवेदक द्वारा कदाचार कराया जा रहा था। आवेदक/अभियुक्त केन्द्र व्यवस्थापक/प्रधानाचार्य है तथा उसे मौके से भागने का कथन किया गया है एवम कापियों प्रश्नपत्रों को बाहर भेजकर हल कराए जाने का कथन किया गया है। तथाकथित घटना परीक्षा केन्द्र के बाहर होना बताया गया है। घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नही है। थाने से प्राप्त आख्या में आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नही किया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों में गुण-दोष पर विचार किये बिना अभियुक्त को अग्रिम जमानत दिये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार **अभियुक्त अम्बरीश उर्फ अमरीश यादव** का अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

यदि अभियुक्त को उपरोक्त प्रकरण में गिरफ्तार किया जाता है अथवा वह सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष समर्पण करता है तब अभियुक्त द्वारा मुव.पचास हजार रूपए का व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं इसी धनराशि के दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष दाखिल करने पर निम्न शर्तों पर रिहा किया जावे-

1- अभियुक्त आदेश की तिथि से दस दिवस के अन्दर सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर न्यायालय की सन्तुष्टि पर जमानत व बन्ध-पत्र दाखिल करेगा।

2- अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण के विचारण में सहयोग करेंगे।

दिनाँकः01-05-2026

(रूपेश रंजन)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

मैनपुरी

अनिल कुमार अग्रवाल,

पी.ए

RUPESH RANJAN

Digitally signed by RUPESH RANJAN
Location: Mainpuri
Date: 2026.05.06 13:08:59 +0530